राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:- 74 / प्रा0पत्र / 2023 दायरा दिनांक :-14.06.2023

GCMS ID-2023 / 328

उनवान

1. अनोख बाई पत्नी महावीर जाति गुर्जर निवासी अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीयॉ

बनाम

1. श्योजीलाल आ0 रामनाथ जाति गुर्जर निवासी अनन्तगंज तहसील हिण्डोली।
2. उदालाल आ0 देवा जाति गुर्जर निवासी अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :- श्री गिरधर सैन

वकील अप्रार्थीगण :- एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 12.05.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि भूमि खाता संख्या 2 खसरा संख्या 378 / 292 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442 / 344 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6879 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम अनन्तगंज पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विस्थित है, जो प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थीया उक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के अगल-बगल अप्रार्थीगण की भूमिया स्थित है, अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी विवाद कर चुके है, और प्रार्थीया की भूमि के अनदर अपनी भूमि होने का उज्र करते है, और प्रार्थीया की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है, तब प्रार्थीया ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 21.06.2007 को श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के आदेश संख्या 56 / भू0अ0 / 07 दिनांक 24.06.2007 की पालना में प्रार्थीया की भूमि पर सीमाज्ञान किया परन्तु अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे है और जबरन आये दिन प्रार्थीया की खाते की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है, जबकि प्रार्थीया अपने खाते में दर्ज भूमि परही काबिज होकर काश्त करता आ रही है। परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थीया की भूमि को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है प्रार्थीया ने उक्त विवाद के सम्बन्ध मे थाना दबलाना में भी रिपोर्ट पेश की लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया से राजीनामा कर लिया और पुनः अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि पर लगातार कब्जा करने पर आमादा है, तथा दिनांक 15.04.2023 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थीया की भूमि पर आ गये और जबरन प्रार्थीया की भूमि की मेडो को तोडने का प्रयास किया प्रार्थीया द्वारा मना करने पर गाली गलोच की तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दी कि हम तुम्हारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पर कब्जा करेगें और तुम्हारी भूमि की मेडों को तोडकर नष्ट करेगें और तुझे उक्त भूमि की पत्थरगढी नहीं करने देगे। यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। प्रार्थीया के पास सीमा सम्बन्धी विवादों के स्पष्ट समाधान हेतु पत्थरगढी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम अनन्तगंज तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थीया पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया की भूमि खाता संख्या 2 खसरा संख्या 378/292 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442/344 रकबा 0.3237 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6879 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम अनन्तगंज पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीया को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 बावजूद तामिलों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 03 पेरोकार सरकार ने राजकीय राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविंक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीया को सुना गया। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमियॉ प्रार्थीया के खातेदारी की भूमियॉ है। हमने पूर्व में सीमाज्ञान करवाया हुआ है फिर भी विवादित भूमियों के स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीया की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम अनन्तगंज पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 02 के अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 02 के 378/292 रकबा 0.3642 हैक्टेयर, खसरा संख्या 442/344 रकबा 0.3237 हैक्टेयर वाके ग्राम अनन्तगंज पटवार मण्डल अनन्तगंज तह.0 हिण्डोली जिला बून्दी जो कि प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीया से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीया व आराजी के पडौसी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446